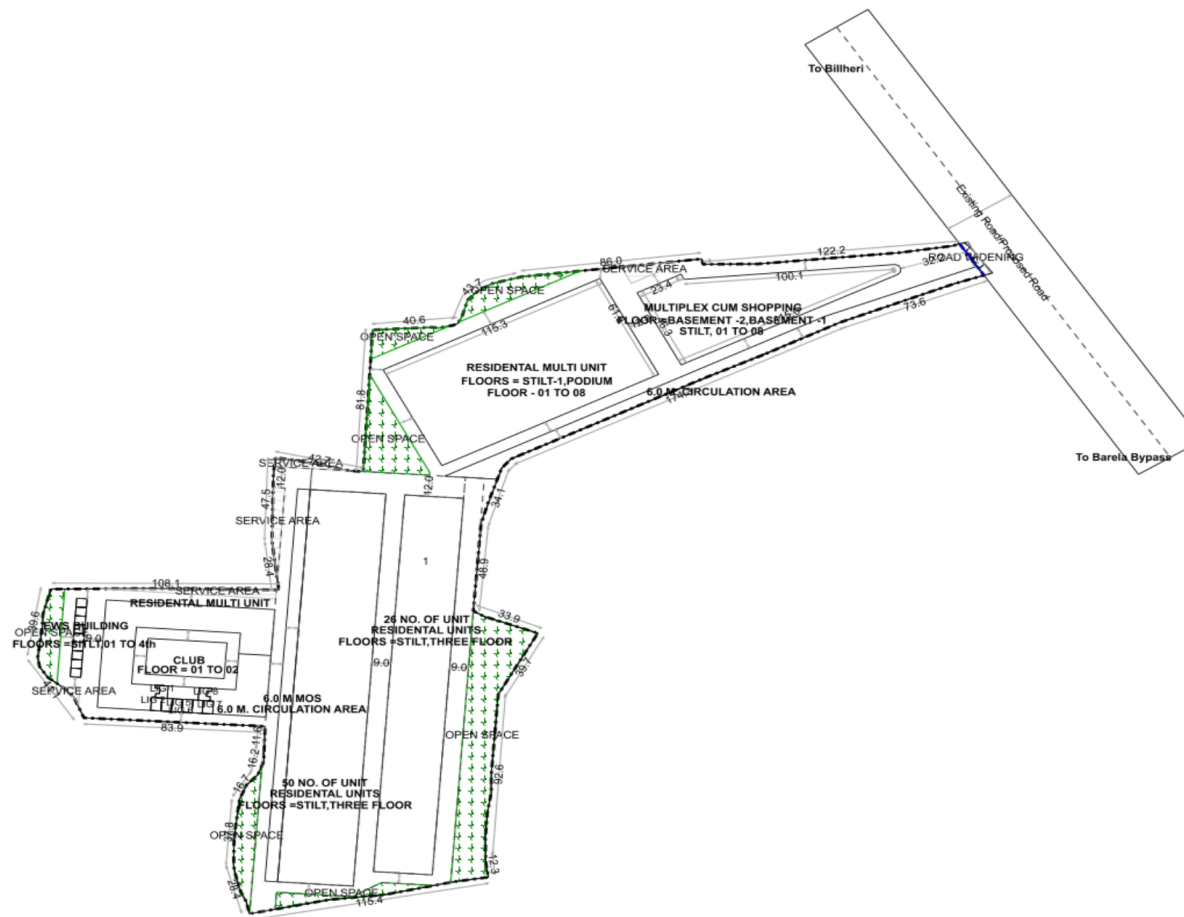


Layout Plan

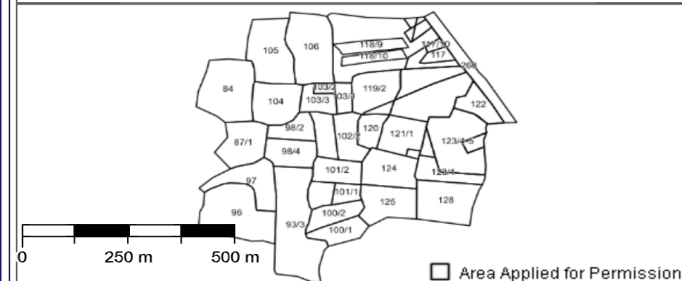
23.1183,79.9662



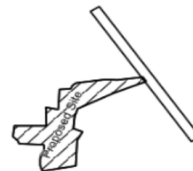
0 25 m 50 m

23.1230,79.9715

Khasra/Nazul Plot Plan



Location Plan



Legend:

- Area Applied
- Road Widening
- Plot Area
- Community Open Space
- Service Area



PROJECT NAME: MAA NARMADA MIRACLE-Z
PROPOSED LAYOUT PLAN FOR THE
DEVELOPMENT OF GROUP HOUSING (Group
Housing and Multiplex cum Shopping)
on Khasra/Nazul Plot No.
121/3/1/2,121/3/2,103/1,119/2,102/1,102/2,101/1,101/2,98/4
at Village Tilhari (og) Tehsil Ranjhi District Jabalpur

SCHEDULE OF PLOTS

S.No.	Description	Area / Width /Length	Unit	%
1	Area Applied for Permission	53570.0	Sqm.	
2	Area under Road Widening	77.7	Sqm.	
3	Net Planning Area	53492.3	Sqm.	100.00
4	Max. Permissible Ground Coverage	16047.70	Sqm.	30.00
5	Community Open Space	5665.70	Sqm.	10.60
6	Service Area	709.03	m.	1.3
7	MOS Front	32.2	m.	
8	MOS Rear	12.0	m.	
9	MOS Side1	6.0	m.	
10	MOS Side 2	6.0	m.	
11	Max. Permissible FAR	1.75		
12	Proposed Height	24	m.	
13	Road Abutting width	36.0	m.	
14	Parking	Parking Shall be Provided as per Development Plan and M.P.B.V.N 2012..		
15	Pathway	0.00	0.00	Sqm.
16	Future Planning	0.00	Sqm.	

Area Statement for Informal Sector

S.No.	Description		Unit
1	Total No. of Saleable Plots / DUs	390	Nos.
2	Req. EWS/LIG Units @ (Req EWS/LIG Per) % of Total Plots/DUs	59	Nos.
4	Req. EWS Units (60% of S.No.2)	35	Nos.
5	Req. LIG Units (40% of S.No.2)	24	Nos.
3	Proposed EWS & LIG Units	60	Nos.
6	Proposed EWS Units	36	Nos.
7	Proposed LIG Units	24	Nos.
8	Min Land area for proposed EWS	25	Sqm.
9	Min Land area for proposed LIG	36	Sqm.

Details of Ownership

S.no.	Khasra/Nazul Plot No.	Total Area (Ha.)
1	98/4, 101/2, 101/1, 102/2, 102/1, 119/2, 103/1, 121/3/2, 121/3/1/2 (Tehsil-Ranjhi, Village-Tilhari (og))	5.358

Application ID: JBPLP170522454

Project

Client/Owner

Consultant / Architect

Date

Authorised Signatory

Signature Not Verified

Ms Compact Builders Through Partner Geet Kohli

ANSHUL NIGAM NIGAM

17/MAY/2022

Signature of officer

Digitally Signed by
RAVINDRA KUMAR SINGH
Date: 19-07-2022 13:30:20

प्रति,

Ms Compact Builders Through Partner Geet Kohli

PLOT NO.8, ADARSH NAGAR, NARMADA ROAD, JABALPUR 482001

Jabalpur, म.प्र.

विषय:- ग्राम- Tilhari (og) तहसील Ranjhi जिला Jabalpur स्थित भूमि खसरा क्रमांक 121/3/1/2, 121/3/2, 103/1, 119/2, 102/1, 102/2, 101/1, 101/2, 98/4 कुल रकबा 5.357 हेक्टेयर (53570.000) वर्गमीटर पर GROUP HOUSING (GROUP HOUSING AND MULTIPLEX CUM SHOPPING) विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

परियोजना का नाम:- “MAA NARMADA MIRACLE-Z”

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 17/MAY/2022 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम- Tilhari (og) तहसील- Ranjhi जिला- Jabalpur स्थित खसरा क्रमांक

121/3/1/2, 121/3/2, 103/1, 119/2, 102/1, 102/2, 101/1, 101/2, 98/4 कुल रकबा 5.357 हेक्टेयर (53570.000) वर्गमीटर भूमि जिसका भूमि उपयोग Jabalpur विकास योजना 2021 में “Residential.” निर्दिष्ट है। पर GROUP HOUSING (GROUP HOUSING AND MULTIPLEX CUM SHOPPING) विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई है।

उक्त तारतम्य में आवेदक श्री/श्रीमति/मेसर्स Ms Compact Builders Through Partner Geet Kohli द्वारा विकास हेतु अनुमति बावत् ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। Jabalpur विकास योजना 2021 की कंडिका में Residential भूमि उपयोग में GROUP HOUSING (GROUP HOUSING AND MULTIPLEX CUM SHOPPING) विकास स्वीकार्य गतिविधि है।

प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण दिनांक 04/JUL/2022 को आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि श्री Ms Compact Builders Through Partner Geet Kohli की उपस्थिति में उनके द्वारा बतलाई गई सीमा के अनुसार किया गया है, भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः Residential भूमि उपयोग में GROUP HOUSING (GROUP HOUSING AND MULTIPLEX CUM SHOPPING) विकास हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों अनुसार अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जा रही है:-

1. प्रश्नाधीन भूमि पर संलग्न मानचित्रानुसार नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार मान्य होंगे।

(1) जबलपुर विकास योजना 2021 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(1) के अनुरूप

2. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से विकास निर्माण अनुज्ञा से पूर्व अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा- अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 ब. म0प्र0 नगर पालिक अधिनियम-1956 (क्रं.-23 सन्-1956) स. नजूल विभाग जबलपुर द. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

3. विषयांकित भूमि के सामने विकास योजना का 36.00 मीटर मार्ग है उक्त मार्ग के मध्य से 18.00 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा, तथा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा।

4. अनुज्ञा मानचित्र अनुसार मार्ग मध्य से 18.00 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखने के पश्चात् संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये यह सुनिश्चित भवन अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।

5. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम-3 के तहत नगर पालिका निगम, जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 61 दिनांक 11/10/2019 सहित अन्य संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य की अनुमति प्रदत्त की जावेगी।

6. प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2021 (कॉलोनी विकास) प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म0प्र नगर पालिका मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2021 (कॉलोनी विकास) के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2021 (कॉलोनी विकास) के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में बहुईकाई/ बहुमंजिला आवासीय प्रकोष्ठ भवन (मॉ नर्मदा मिराकिल्स) भवन हेतु परिसर में कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों हेतु भवन प्रस्तावित किये गये हैं। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुज्ञा जारी की जावे। तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन हो तो विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावे।

7. विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत अभिन्यास क्षेत्र में उपदर्शित भूखण्डों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति हेतु स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात, भवन की उंचाई स्वीकार्य, आवृत्त क्षेत्र आदि की गणना व मापदण्ड जबलपुर विकास योजना-2021 के अध्याय-4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मान्य किये जा सकेंगे।

8. आवेदकों समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

9. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

10. आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तदनुसार सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर स्थल में विसंगति आदि उत्पन्न होने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जावेगी।
11. प्रस्तावित विकास के आसपास लगी भूमि की कालोनियों पर निर्मित अनुमोदित मार्गों के भूखण्डों एवं खुले तथा अन्य क्षेत्रों का समायोजन किया जावेगा तथा उक्त अनुमोदित मार्गों को किसी भी प्रकार से अवरूद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा। अतः अनुमोदित मार्गों को गेट अथवा बाउन्ड्रीवॉल से अवरूद्ध/बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा। यदि आवेदक संस्था द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है, तो स्थानीय संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाधित किये गये मार्ग पर मुक्त किये जाने संबंधित वैधानिक कार्यवाही कर सकेंगे।
12. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदकों को आवश्यक रूप से करते हुए नियम-88 अनुसार भूकम्परोधी तकनीकी से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। समस्त प्रावधानों की पूर्ति आवेदक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाकर भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।
13. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-52 के अनुसार विद्युत लाईन संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा।
14. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-95 के अनुसार मल्टीप्लेक्स सह शॉपिंग सेंटर हेतु गतिविधियां अनुज्ञेय होंगी। इस हेतु पार्किंग का प्रावधान नियमानुसार किया जाना आवश्यक होगा।
15. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
16. यह अनुज्ञा बहुईकाई/ बहुमंजिला आवासीय प्रकोष्ठ भवन एवं मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग तथा क्लब हाऊस (मॉ नर्मदा मिराकिल्स) के प्रयोजन हेतु जबलपुर विकास योजना 2021 म0प्र0 भूमि विकास नियम- 2012 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गयी है, जिसका पालन किया जाना आवश्यक होगा।
17. यह अनुज्ञा बहुमंजिला आवासीय प्रकोष्ठ भवन एवं मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग तथा क्लब हाऊस (मॉ नर्मदा मिराकिल्स) के प्रयोजन हेतु दी गई है, जिसका उपविभाजन मान्य नहीं होगा। यदि भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र का उप-विभाजन किया जाकर विक्रय किया जाता है, तो अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी अथवा दी गई अनुमति निरस्त कर दी जावेगी।
18. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्य में विसंगति होने या पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद की होगी।
20. इस अभिन्यास मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यपवर्तन व मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2021 (कॉलोनी विकास) के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
21. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिका निगम, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी। एस.टी.पी. का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप आपके एवं आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
22. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 के परिशिष्ट -झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों अनुसार अतिशेष पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रावधान को योजना में नियमानुसार क्रियान्वित कराये जाने का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन के आंतरिक प्रस्ताव अनुमोदित किये जा सकेंगे।
23. म0प्र0 भूमि विकास नियम- 2012 के नियम-76 के प्रावधान अनुसार तलघर का निर्माण पार्किंग हेतु किया जावेगा।
24. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
25. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक/भूमि स्वामी नियमों में उल्लेखित निर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वाहन किया जाना अनिवार्य है, प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को स्थल पर विकास अनुमति के पश्चात् किये जा रहे विकास कार्य की प्रत्येक स्तर की सूचना सक्षम प्राधिकारी (भवन अधिकारी) को प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा तथा भवन अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना का स्थल पर सत्यापन प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। सत्यापन के दौरान यदि आवेदक द्वारा दी गई अनुज्ञा का विचलन पाये जाने पर तत्काल विकास/निर्माण पर रोक लगाते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी साथ ही आवेदक द्वारा समस्त विभागों से प्राप्त की गई अनुमति/अनापत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-32 के प्रावधानों का आवेदक को पालन करना होगा साथ ही स्थल पर अनुमोदित स्थल मानचित्र संबंधी जानकारी 5 फुट X 4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
27. म0प्र0 भूमि विकास नियम- 2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रश्नाधीन प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से करना होगा।
28. आपके द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा टेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं अपने वास्तुविद/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
29. यह अनुज्ञा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार 03 वर्ष हेतु विधिमन्य रहेगी।
30. प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय प्रकोष्ठ भवन एवं मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग तथा क्लब हाऊस (मॉ नर्मदा मिराकिल्स) के प्रयोजन विकास हेतु अनुमोदित स्थल मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है, तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।
31. अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, पहुंच मार्ग विवाद उत्पन्न होने की दशा में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि से स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत प्रतिस्तरित (रिक्लोक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

सयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

क्रमांक JBPLP170522454/ दिनांक / 19/JUL/2022

प्रतिलिपि:-

- 1.आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों का आवेदक से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2.अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3.क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- 4.तहसीलदार जिला जबलपुर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला जबलपुर म.प्र.